20

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः—श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निग0 1530—दो/2005 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 03—01—2001 के द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 05/निग0/1997—98

.....

1— रामगोपाल तनय नृपति सिंह
निवासी—बैकुण्ठपुर तहसील सिरमौर
जिला—रीवा(म0प्र0)

2— दिनेश प्रताप सिंह तनय पारखत सिंह
निवासी—बैकुण्ठपुर तहसील सिरमौर
जिला—रीवा(म0प्र0)

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1— वंसराज सिंह तनय श्री मानसिंह
निवासी—बैकुण्ठपुर तहसील सिरमौर
जिला—रीवा(म0प्र0)

2— मध्यप्रदेश शासन

.....अनावेदकगण

.....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस0के0 वाजपेयी, अभिभाषक, अनावेदक क्र0 1
श्रीमती रजनी वशिष्ठ शासकीय अभिभाषक, अनावेदक क्र0 2

.....

आदेश

(आज दिनांक 02/11/17 को पारित)

अवोदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 03—01—2001 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक क्र0 1 द्वारा ग्राम बैकुण्ठपुर स्थित विवादित भूमि खसरा क्रमांक 648/1 रकबा 0.20 एकड़ एवं खसरा क्रमांक 653 रकबा 0.80 एकड़ का व्यवस्थापन किये जाने हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार सिरमौर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार ने दिनांक 29.12.1998 को आदेश पारित कर अनावेदक क्र0 1 के पक्ष में व्यवस्थापन का आदेश पारित किया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर के समक्ष प्रस्तुत की गई। जहॉ पर अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार के आदेश को त्रुटिपूर्ण माना तथा दिनांक 16.03.1998 से अपील स्वीकार करते हुये, विचारण न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश से परिवेदित होकर अनावेदक द्वारा अपर आयुक्त रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त ने प्रकरण क्रमांक 05/निग0/1997–98 पर दर्ज कर दिनांक 03.01.2001 से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित प्रत्यावर्तन आदेश को विधि के विपरीत मानते हुये निरस्त किया तथा तहसीलदार के आदेश को विधिसंगत मानकर यथावत रखा एवं निगरानी स्वीकार की है। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा अधीनस्थ न्यायायलों के अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है। अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेखों के आधार पर किया जाता है।

4/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया । अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक क्र0 1 वंशराज सिंह ने तहसीलदार सिरमौर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार ने इश्तहार प्रकाशन एवं पटवारी प्रतिवेदन प्राप्त करने के उपरांत अनावेदक क्र0 1 वंशराज के पक्ष में व्यवस्थापन का आदेश पारित किया है, जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती। जहॉ तक अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का प्रश्न है। अनुविभागीय अधिकारी ने मात्र इस आधार पर तहसीलदार के व्यवस्थापन के आदेश को निरस्त किया है कि तहसीलदार ने मकान निर्मित क्षेत्रफल पर व्यवस्थापन के आदेश दिये और प्रश्नाधीन भूमि के सम्पूर्ण रकबे पर कोई मकान

निर्मित नहीं है। तहसीलदार के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने खसरा क्रमांक 648/1 रकबा 0.20 एकड़ एवं खसरा क्रमांक 653 रकबा 0.80 एकड़ का अनावेदक क्र0 1 वंशराज सिंह के पक्ष में विधिवत प्रक्रिया अपनाकर व्यवस्थापन का आदेश दिया । ऐसे में तहसीलदार का आदेश अनुचित नहीं कहा जा सकता है। जहॉ तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है। अपर आयुक्त ने इसी बिन्दु पर विस्तार से विवेचना कर आदेश पारित करते हुये अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त किया जाकर तहसीलदार के वैधानिक आदेश को उचित माना है । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त के आदेश में कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 03–01–2001 विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर